THE DEPUTY CHAIRMAN: On my statement also do you seek clarifications?

SHRI NILOTPAL BASU: Actually, we had, earlier, requested for another statement from the Home Minister in the wake of the massacre in Kashmir. There were violent incidents in different parts of the country, particularly in Gujarat. Certainly, communal overtones were there. The hon. Parliamentary Affairs Minister was kind enough to assure the House that the Home Minister would make a statement on that. Since we were engaged with other discussion for a couple of days, it is expeced that the hon. Home Minister would make a statement on this also.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Madam Deputy Chairman, I would like to say in connection with what has been mentioned here...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing that. ...*(Interruptions)*...

SHRI EDUARDO FALEIRO: Madam, I would not have come and interrupted unless it was extremely important. What is extremely important is the situation in Gujarat which is a continuation of the carnage in the Valley. It is a continuation of that. In the wake of that some fundamentalist elements have been targeting the minorities. There are allegations against members of the ruling party there. I would like the Home Minister to make a statement on the situation in Gujarat. This is the first thing. Secondly, I appeal to the Home Minister with all the force at my command and humility to instruct the Government of Gujarat for taking strong action especially because the role which the Reserve Police of Gujarat has been playing is not very satisfactory in maintaining the law and order which they are supposed to do. They should do that and follow and fulfil their duty.

STATUTORY RESOLUTION

Approving of Notification enhancing the rate of Customs Duty in respect of certain Goods

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI V. DHANANJAY KUMAR): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of sub-section (2) of section 8A of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No.96/2000-Customs dated July 7, 2000 (G.S.R. 593 (E) dated

July 7, 2000) which seeks to amend the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 so as to enhance the rate of customs duty applicable to goods falling under sub-heading No.0802.90 from 35% to "100%".

The question was put and the Motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Madhya Pradesh. Reorganisation Bill, 2000.

THE MADHYA PRADESH REORGANISATION BILL, 2000

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।

महोदया, 1950 में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तब तीन प्रकार के राज्य थे, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स। उसके बाद स्थान-स्थान पर इस बात का उल्लेख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भाषावार राज्यों की रचना की स्वीकृति स्वतंत्रता से पहले दी थी। उसके अनुसार भाषावार राज्य बने नहीं हैं, बनने चाहिए और उस कड़ी में पहली बार आन्ध्र प्रदेश बना था। उसके बाद धीरे-धीरे करके सरकार का मत बना कि हमको स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बनाकर बाकायदा हिन्दुस्तान के राजनैतिक नक्शे को फिर से बनाना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई है और फिर स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बना और स्टेट रि-आर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि जो स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, उसमें खाली लेंग्वेज नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी थी और भी बातें थीं, लेकिन प्रमुख केन्द्र बिंदु उस समय भाषा था। इसीलिए उस समय जो नक्शा बना उसको हमेशा माना गया और भाषावार राज्यों की रचना हो गई है। मैं मानता हूं कि उस दौरान में कुछ प्रान्त बहुत बड़े बने, खासकर के हिन्दी भाषी प्रान्त। जिसके कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार - इनमें संतुलित विकास नहीं हुआ, असंतुलन हो गया। इस कारण भी कई राज्यों की मांग होती रही। मैं बाकी स्थानों पर जो राज्यों की मांगें हुई, उनका जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ राज्य उसके बाद बन भी गये हैं। उनकी मांगों के अनुसार आंदोलन हुए, मांगें हुईं और बन गये लेकिन इन तीन राज्यों में जिनका मैंने अभी अभी जिक्र किया - झारखंड राज्य की मांग हुई। यह ठीक है कि झारखंड राज्य की मांग जब शुरू हुई तब इस रूप में हुई कि बिहार के आदिवासी जिले, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले, उड़ीसा के आदिवासी जिले और पश्चिमी बंगाल के आदिवासी जिले मिलाकर झारखंड राज्य बनाया जाए। मैं उस समय जिस पार्टी में कार्य कर रहा था, हमको लगा कि यह व्यावहारिक नहीं है और अच्छा होगा कि इसके स्थान पर केवल दक्षिण बिहार के जिलों को अलग किया जाए और एक वनांचल राज्य बनाया जाए। यह व्यावहारिक भी होगा और उस क्षेत्र के लिए लाभकारक भी होगा। यह इतिहास है। क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर राज्य बनाने की मांग है जबकि उस प्रदेश के बाकी हिस्से उसके खिलाफ हैं, इसीलिए हमने एक कसौटी अपने लिये रखी कि हम उस मांग का समर्थन करेंगे जहां पर उस क्षेत्र के लोग अलग